74/18

	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.5.2023	वकील अपीलांट उपस्थित / उत्तरदाता कं्रमांक 3 से 7 के वकील अनुपस्थित / वकील अपीलांट शेष उत्तरदाता एकतरफा / वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उत्तरदाता वकील लगातार उपस्थित नहीं हो रहे हैं अतः उत्तरदाता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपील की बहस सुनी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया, पाया कि उत्तरदाता वकील को बहस करने के 16 अवसर दिये जा चुके हैं और गत पेशी पर cost अदा करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया पर भी अंतिमतः अवसर दिया, गया पर भी उपस्थित नहीं आ। इनके बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को विलम्बित करना चाहते हैं और न ही सहयोग नहीं देना चाहते हैं और न ही पेशी हेतु उपस्थित हो रहे हैं पेशी हेतु उपस्थित हो रहे हैं। अतः अवसर दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। उत्तरदाता वकील को न्यायालय कक्ष में आवाज तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण उत्तरदाता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अपीलांट दिनांक 14.6.2023 को पेश हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
14.6.2023	वकील अपीलांट उपस्थित। उत्तरदाता एकतरफा। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई और दौराने बहस	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested

74/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
28.	तर्क है कि अपीलांट के पिता पांचाराम की पुश्तैनी व पैतृक खातेदारी कृषि भूमि ग्राम-पातोदी वर्तमान राजस्व ग्राम [illegible] तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 3593 रकबा 43.10 बीघा व खसरा नम्बर 3433 रकबा 24.10 बीघा कुल रकबा 68.00 बीघा आई हुई थी और पांचाराम की ही कब्जा काश्त थी। पांचाराम के फौत होने पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पांचाराम के फौतगी नामान्तकरण संख्या 205 केवल शंकरराम के नाम भरा जाना चाहिये था, लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मियों ने गलत तरीके से शंकर वल्द पांचा 1/2 हिस्सा व मोडिया वल्द नेता 1/2 हिस्सा के नाम नामान्तकरण पारित किया गया। क्यों कि उपरोक्त गलत तथ्यों के आधार पर विवादित नामान्तकरण भरा गया। क्योंकि मोडिया पांचाराम का वारिस ही नहीं है, बल्कि मोडिया रतनाराम का वारिस है। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण गलत आधार पर भरे जाने के कारण निरस्त किया जाकर पांचाराम का अपीलांट शंकरराम वारिस होने के कारण आलोच्य आराजी कृषि अपीलांट के नाम दर्ज की जावे।
	उत्तरदाता वकील द्वारा लिखित प्रत्युत्तर पेश किया गया था, जिसका

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Viv
Date: 2023.06.29 14:
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उल्लेख लायक यह है कि पांचाराम के फौत होने पर जो नामान्तकरण संख्या 205 जारी पारित हुआ था। क्योंकि पांचाराम ने अपने जीवनकाल में अपना 1/2 हिस्सा की भूमि मोड़ाराम उर्फ मोतीया के नाम वसीयत लिख कर दी और उसी आधार पर 1/2 हिस्सा मोड़ाराम उर्फ मोड़िया व 1/2 हिस्सा सांवताराम वल्द पांचाराम के नाम नामान्तकरण पारित हुआ था। जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तकरण भरा गया था। तत्पश्चात सांवताराम ने अपना 1/2 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 3 से 7 को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 59 पारित हुआ था। इस प्रकार आलोच्य भूमि में अपीलांट का कोई हक हिस्सा नहीं होने के कारण अपीलांट अपील खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज, आलोच्य अपीलाधीन नामान्तकरण के [illegible] लिखित प्रकथन उत्तरदाता [illegible] गम्भीरता पूर्वक अवलोकन [illegible] तथा तथ्यों का विधि [illegible] में विवेचन किया। जिससे पाया कि आलोच्य नामान्तकरण संख्या 205

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	पांचा वल्द बना कौम भील की। पेर खातेदार के फौत होने पर खाता वल्द पांचा 1/2 हिस्सा व मोडिया वल्द जवा 1/2 हिस्सा के नाम भरा गया। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में हल्का पटवारी द्वारा टिप्पणी की गई कि खातेदार पांचा को फौत हुए करीब 8 साल हो चुके है. अपील्ला लड़का व पोते के नाम भरा गया। वकील अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि मोडिया वल्द जवा का पांचाराम से कोई संबंध नहीं है। इसका गलत आधार पर पांचाराम की जायदाद में नाम भरा गया। अदालत को यह तय करना है, कि पांचाराम के विधिक वारिस में मोडिया वल्द जवा आता है अथवा नहीं एवं नामान्तकरण आलोच्य जरबुर्दा प्रक्रिया अपना कर पांचाराम के विधिक वारिसान के नाम भरा गया है अथवा नहीं। पत्रावली मे तो तय है कि पांचाराम के वारिसान में अपीलांट ही एकमात्र वारिस है। क्योंकि उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर में इसका खण्डन नहीं किया गया कि पांचाराम के वारिसान में अपीलांट के अलावा अन्य कोई वारिस है अथवा मोडिया वल्द जवा को भी पांचाराम के

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साक्ष्य संबंध है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट हो गया है कि अपीलांट ही पांचाराम का एकमात्र वारिस है। लेकिन पांचाराम के खातेदारी नामान्तरकरण में पुत्र हस्ताराम के साथ मोडिया पुत्र जवा का 1/2 हिस्सा किस आधार पर इन्द्राज किया गया। इस संबंध में उत्तरदाता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जिससे साबित होता हो कि पांचाराम के साथ उसका यह संबंध है। उत्तरदाता ने अपने लिखित एकथन में मोडिया पुत्र जवा को पांचाराम के जीवनकाल में 1/2 हिस्सा वसीयत करने का लिखा गया है। जबकि पांचाराम ने अपने 1/2 हिस्सा मोडिया पुत्र जवा को वसीयत करने का प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य उत्तरदाता ने पेश नहीं किया। केवलमात्र मौखिक लिखने एवं कहने से नहीं होता है उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक होता है। यदि वसीयत की होती, तो खातेदारी नामान्तरकरण भरते समय उसका उल्लेख करते, लेकिन ऐसा आलोच्य नामान्तरकरण [illegible] समय कोई हिस्सेदारी नहीं [illegible] इससे स्पष्ट साबित है कि आलोच्य नामान्तरकरण भरते समय मोडिया पुत्र जवा 1/2 हिस्सा गलत इन्द्राज किया गया है और उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * बालोतरा *

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	खातेदारी नामान्तकरण संख्या 205 केवल मात्र रवताराम के नाम भरा जाना चाहिए था। जो कि ग्रा.पं. पाटोदी सरपंच/पटेल द्वारा भारी लिपीक त्रुटि की गई है। ऐसी त्रुटि स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही आलोच्य अपीलार्थी ने कृषि बतौर कॉन्ट्रैक्ट पाना वल्द धर्मा भील जी.टी. [illegible] के नाम इन्द्राज हुई थी। जो मालिक के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त आलोच्य से स्पष्ट है इस प्रकार आलोच्य कृषि पाना के नाम थी और पाना को फौत होने पर आधी कृषि रावताराम के नाम इन्द्राज होनी चाहिए थी। लेकिन ~~अ~~ अपीलांट का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा मोडिया वल्द [illegible] का इन्द्राज किया, जो मोडिया का नाम गलत इन्द्राज हुआ है क्योंकि मोडिया रवताराम का वारिस है जो रत्निया वल्द मूला के नाम खतौनी बन्दोबस्त अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है यह बात मानने योग्य है, कि अपीलांट रावताराम ने अपना 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी राजेन्द्री उत्तरदाता संख्या 3 के को बेचाने की थी और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 59 पारित हुआ था। उक्त बेचान अप्रभावित रहेगा। जहां तक जाब्ता पत्र धारा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not V
Digitally signed by V
Date: 2023.06.29 14
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05 विलंबित स्वीकार होने के पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राज० अजमेर में निगरानी होना का प्रकट हो। पत्रावली पर उपलब्ध नकल प्रतिलिपि दिनांक 25.02.2014 अनुसार निगरानी दर्ज हुई है स्थगन आदेश जारी नहीं हो रखा है वकील अपीलार्थी को वर्तमान स्टेटस [illegible] उपलब्ध करवाने हेतु बार [illegible] करने के उपरान्त भी स्थगन आदेश [illegible] नहीं की गयी [illegible] जबकि अपीलार्थी [illegible] आदेश होता है कि [illegible] वैसा स्थगन हो तो [illegible] में नहीं किया गया [illegible] अपीलार्थी उपरोक्त विवेचन [illegible] क्योंकि अपील स्वीकार [illegible] करने को अपीलार्थी पक्ष को [illegible] मौका 15 अवसर दिए गए थे / कोर्ट cost पर भी अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थिति नहीं दी गई। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की अपील को चलाने में [illegible] की रुचि नहीं है [illegible] मौन स्वीकृति [illegible] आपत्ति होती हो, 15 अवसर विलम्ब में दिए जाने के उपरांत भी बहस में भाग नहीं लिया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आलोच्य नामान्तकरण संख्या 205 विधि विरुद्ध पारित हुआ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	था, जो आलोच्य नामान्तकरण निरस्त योग्य है और अपीलांट अपील स्वीकार योग्य है।
	लिहाजा अपीलांट की अपील अन्दर मियाद स्वीकार कर स्वीकार की जाती है, ग्राम पंचायत पाटोदी के नामान्तकरण संख्या 205 पर पारित कथन ग्राम पंचायत पाटोदी के आदेश को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार पचपदरा को अपीलार्थी [illegible] भूमि ग्राम [illegible] की खसरा नम्बर 3433 [illegible] भूमि में मोतिया पुत्र [illegible] के स्थान पर [illegible] नाम नामान्तकरण [illegible] करने के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] द्वारा बेचान किस्म [illegible] रहेगा।
	आदेश आज दिनांक [illegible] 2023 को लिखा जाकर के [illegible] सुनाया गया।
	पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]
	उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:04 IST
Reason: SelfAttested